

प्रथम / द्वितीय प्रति

निविदा फार्म क्रमांक ... 08

अहस्तांतरणीय



"हितवाद परिसर" अदालत विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

निविदा - दस्तावेज

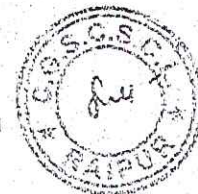
आयोडीनयुक्त नमक

(ISI स्टेण्डर्ड)

क्रय हेतु निविदा

वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014

(जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक)

निविदा दिनांक 02.01.2013

हेतु
रकार



Subject to Realisation

Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd.

H.O. RAIPUR

BOOK No. 513 185

Sr. No. 069

Name of Office H.O. Raipur

Date 31.12.12

MONEY RECEIPT

Received with thanks from Shri / M/s. Meelkanth Salt Supply Co. Meelkanth
House - AB28-60 Zandya Chalk Gramchidharn - 37020

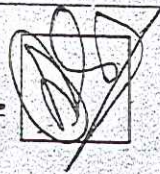
Rupees (in words) ~~Rs.~~ Five thousand two hundred fifty only

by Cash / Cheque / D.D. No. Cule Date 31.12.12 On Raipur

Account No. — On Account of sale of salt tender form

Bill No. — Date 31.12.12

Rs. 5250/-



For : C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd.

Cashier
31.12.12

Depositor

Manager (P. D. S.)
Accounts Officer / Manager
C.G. State Civil Supplies Corpn Ltd.
Head Office - Raipur

285

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

// आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 //

छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में स्थित निगम के गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक ISI स्टैंडर्ड प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं, जिनका नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जीवित पंजीयन हो, इच्छुक नमक निर्माताओं से निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु दस्तावेज।

1. निविदाकार का नाम एवं पता	श्री मेसर्स <u>Neelkanth Salt Supply Co.</u> <u>Neelkanth House B.B.S-60 Zanda</u> <u>Chauk, Chandhibham - 370201</u> <u>Gujarat</u>
2. फर्म का पंजीयन क्रमांक	
3. निविदा फार्म का मूल्य	रुपये 5000.00 (वाणिज्य कर अतिरिक्त)
4. निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक	<u>069/513</u> <u>Date 31.12.12</u>
5. निविदा फार्म के विक्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	31.12.2012 समय 5.30 बजे अपराह्न तक
6. निविदा जमा करने हेतु अंतिम तारीख एवं समय	02.01.2013 समय 1.00 बजे अपराह्न तक
7. निविदा विक्रय हेतु निर्धारित स्थान	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड हितवाद परिसर, अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय-रायपुर
8. निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	02.01.2013 समय 2.00 बजे अपराह्न (टेक्नीकल बीड) 3.00 बजे अपराह्न (प्राइज बीड)
9. निविदा जमा/खोले जाने का स्थान	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड हितवाद परिसर, अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय-रायपुर

टिप्पणी :-

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जावेगा। निविदा की द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा रखी जायेगी।
3. निविदा दस्तावेज की मूल प्रति में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
4. निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट www.cg.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क रुपये 5000.00 (वाणिज्यिक कर अतिरिक्त) की डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लि. रायपुर के नाम से देय, दिनांक 31.12.2012 तक निगम मुख्यालय में भुगतान करना अनिवार्य रहेगा। निगम को भुगतान की गई राशि की मनी रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टेक्नीकल बीड में निविदा अमान्य होगी।
5. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 17 तक समाहित है।

31.12.12
Manager (P. D. S.)
C G State Civil Supplies Corpn. Ltd.
Head Office - Raipur



निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी निगम निदेशक एवं पदमुद्रा
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd.,
Head Office, Raipur. (C.G.)

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory

// / 2 / /

// उद्बोधन //

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित गोदामों में नमक प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यमों एवं प्रतिष्ठित नमक निर्माताओं से नमक क्रय (एफ.ओ.आर.) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 (अर्थात् 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक) के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/शक्कर/नमक/दलहन/बारदाना आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।
3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां नमक का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली-भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरें। निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट-छ: में साफ-साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।
4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए टेक्नीकल फार्म निगम मुख्यालय रायपुर में अथवा निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख तक निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे।
5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस आयोजीनयुक्त नमक क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

आयोजीनयुक्त नमक क्रय निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं-

- (अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम निविदाकार से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा।
- (ब) निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज यथा नमक एवं पॉलिपैक का सैंपल, अमानत राशि, नमक आयुक्त द्वारा जारी फर्म का पंजीयन, बैंक द्वारा बैंक गारंटी के लिये सहमति पत्र, इन्कम टैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN) (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
- (स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :- निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित,



प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd.,
Head Office, Raipur. (C.G.)

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Sub. Signatory

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जावेंगे।

परिशिष्ट - एक	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक कय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषाएं दर्शित है।
परिशिष्ट - दो	इस परिशिष्ट पर प्रदान किये जाने वाले आयोडीनयुक्त नमक से संबंधित निविदा के नियम एवं शर्तें उल्लेखित है।
परिशिष्ट - तीन	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक के नमक की गुणवत्ता एवं देयक भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
परिशिष्ट - चार	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है।
परिशिष्ट - पांच	इस परिशिष्ट पर निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है।
परिशिष्ट - छः	इस परिशिष्ट पर छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों पर आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर प्रति क्विंटल की दर से (एफ.ओ.आर.) चाही गई है।
परिशिष्ट - सात	इस परिशिष्ट पर आयोडीनयुक्त नमक कय संबंधी अनुबंध पत्रक का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रुपये 100/- के नानू ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।



प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिनल साप्लाय कोर्पोरेशन लिमिटेड
Chhattisgarh State Salt Corporation Ltd.,
Head Office, Raipur. (C.G.)

//निविदा दस्तावेज//

//आयोडीनयुक्त नमक (ISI स्टैंडर्ड) क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया//

01. मुहरबंद निविदा :-

इच्छुक नमक निर्माताओं द्वारा प्रदाय किये जाने वाले नमक का प्रतिनिधि सैंपल एवं निर्धारित गुणवत्ता का पॉलिपैक जो 70 माईक्रान का हो, निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

नमक का सैंपल एवं पॉलिपैक तथा अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज यथा नमक आयुक्त द्वारा जारी फर्म का पंजीयन, बैंक द्वारा बैंक गारंटी के लिये सहमति पत्र, इन्कमटैक्स रिटर्न एवं पेन (PAN) (यदि निविदाकार आई.एस.आई. मार्का नमक उत्पादक है तो आई.एस.आई. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा) अलग से मुहरबंद लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है उनकी प्राइज बीड नहीं खोली जावेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

जिस प्रदायकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफे में सैंपल प्रस्तुत नहीं किया जावेगा ऐसे निविदादाताओं की दर संबंधी निविदा नहीं खोला जावेगा एवं उनकी निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

02. अनेस्ट मनी :-

निविदा के साथ रुपये 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।

03. निविदा में हस्ताक्षर :-

निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, कंपनी सचिव, प्रबंध संचालक, मुख्तियार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है, तो इस संबंध में पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी/समिति, द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी किया जाता है, तो पावर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज मूल प्रति में ही प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

04. निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में :-

निविदाकार निर्धारित निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट-04, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न जिलों के गोदामों रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगाँव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सुरजपुर बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, कोंडागाँव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर स्थित स्थानीय गोदामों की जानकारी दी गई है। उक्त स्थानों के लिए आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय हेतु प्रति क्विंटल दर अंकों एवं शब्दों में लिखकर प्रस्तुत किया जाना होगा। निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व छत्तीसगढ़ के रेल/सड़क मार्गों को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगा।

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory



कृ.प.उ. 5

फैक्स, कोरियर अथवा किसी प्रकार के डाक के माध्यम से अथवा खुले (बिना सीलबंद लिफाफा) में प्राप्त निविदाएं विचार योग्य नहीं होगी।

निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप से भरी जावे। निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं किया जावेगा। कांट-छाट होने की स्थिति में उस पर निविदाकार का पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपना पूर्ण हस्ताक्षर करें। निविदाकार को आयोडीनयुक्त नमक छत्तीसगढ़ में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करना होगा तथा इसमें विभाग / संस्था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, और न ही किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रस्तुत किये जाने वाले वांछित दस्तावेज को निविदाकार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर करने उपरान्त नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य है।

05. जमानत राशि जमा करने के संबंध में :-

निविदा स्वीकृत होने की दशा में सात दिवस के भीतर रुपये 5.00 (रुपये पांच करोड़ मात्र) की जमानत राशि जमाकर कार्पोरेशन के पक्ष में अनुबंध निष्पादन करना होगा। प्रतिभूति राशि ₹ 4.00 करोड़ किसी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी जो प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के नाम से बैंक गारंटी के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

05. (अ)

निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र) रुपये को जमानत राशि के रूप में समायोजन की जावेगी। शेष राशि 4.00 करोड़ को पृथक से बैंक गारंटी कार्पोरेशन में जमा करेगा।

06. आयोडीनयुक्त नमक क्रय की मात्रा :-

नमक की प्रतिमाह लगभग 6500 मे.टन की आवश्यकता होगी तथा नमक प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से प्रति माह आवश्यकतानुसार 8000 मे.टन से 16000 मे.टन नमक प्रदाय के आदेश दिये जा सकते हैं जिसकी पूर्ति करने की बाध्यता अनुबंधित नमक निर्माता की रहेगी। इस प्रकार एक वर्ष में अनुमानित मात्रा 90,000 मे.टन की पूर्ति करना होगा जो आवश्यकतानुसार कम या अधिक हो सकती है।

संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय आदेश देने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित साप्ताहिक/पाक्षिक प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि निर्माता चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जब-जब आयोडीनयुक्त नमक की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु आदेश निर्माता को सौंपा जायेगा। यदि कभी कोई आयोडीनयुक्त नमक क्रय आदेश अथवा नमक क्रय की मात्रा कम या अधिक रही, तो इसके लिए निर्माता कार्पोरेशन को या उसके विरुद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संविदा के पक्षकार नमक निर्माता एवं प्रबंधक (नमक), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड हैं।

07. निविदा स्वीकार करने संबंधी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड को आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय निविदा हेतु किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के मान्य/अमान्य/पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्ण सुरक्षित है।



NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

[Signature]
Auth. Signatory

// 6 //

परिशिष्ट - ए

// आयोडीनयुक्त नमक (ISI स्टैंडर्ड) निविदा हेतु परिभाषाएं //

1. आयोडीनयुक्त नमक से तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर का तथा पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. गुणवत्ता का होना चाहिए एवं 06 माह की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है। प्रदाय किया जाने वाला नमक (ISI स्टैंडर्ड) होना आवश्यक है।
2. निविदा दस्तावेज से तात्पर्य आयोडीनयुक्त नमक कय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया दस्तावेज। (मूल प्रति)
3. संविदा से तात्पर्य है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश, निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेड्यूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्तें सम्मिलित है।
4. निगम शब्द का तात्पर्य होगा, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर है।
5. प्रबंध संचालक का तात्पर्य यह होगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, जैसा यथास्थिति हो, जिसके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसायिक निविदा संबंधी कार्य सम्पादित होना है।
6. विक्रेता शब्द से तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस निविदा में भाग लिया है या निविदा प्राप्त किया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे।
7. निर्माता शब्द से तात्पर्य ऐसे आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कंपनी जो नमक आयुक्त, भारत सरकार से पंजीकृत हो।
8. दर शब्द से तात्पर्य यह होगा कि दर जो निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया है।
9. अनुबंध शब्द का अर्थ यह होगा कि आयोडीनयुक्त नमक कय हेतु निगम एवं नमक निर्माता के बीच संविदा करार।

—0—

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory



// निविदा की नियम एवं शर्तें //

1. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनांक से 90 दिवस तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा।
2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्रों, सड़क/रेल मार्ग का भू-भांति अवलोकन / परीक्षण करें। दरें भरने से पूर्व सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि कर लें। निविदा भरने या खुलने उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, विवाद मान्य नहीं होगा।
3. आयोडीनयुक्त नमक का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर नमक निर्माता को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी।
4. प्राप्त निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा। निविदाकार / नमक निर्माता की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा दरों में नमक प्रेषण करने हेतु समस्त प्रचलित लायसेंस, परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज की व्यवस्था स्वयं करें। इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जावेगा। दस्तोज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी नमक निर्माता की रहेगी। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधित फर्म की जमा अमानत / जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।
5. निविदा के साथ रुपये 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में रायपुर (छ.ग.) शाखा पर देय संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा स्वीकृत होने की दशा में सात दिवस के भीतर रुपये 4.00 करोड़ (रुपये चार करोड़ मात्र) की जमानत राशि बैंक गारन्टी 15 माह कर अवधि के लिये कार्पोरेशन के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि रुपये 1.00 (रुपये एक करोड़) का समायोजन किया जावेगा।
6. निर्धारित अवधि में करार निष्पादित नहीं करने की स्थिति में निविदा फार्म के साथ जमा बयाने की राशि (अर्नेष्ट मनी) यथास्थिति अनुसार कार्पोरेशन के हित में जप्त कर ली जावेगी। इसके लिए आवश्यक नहीं होगा कि कार्पोरेशन संबंधित को अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान करे।
7. आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा छ.ग. स्थित बेसडिपो / गोदामों (परिशिष्ट 04 अनुसार) के स्थानीय गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर स्टेकिंग करने तक की दर चाही गई है। नमक की बोरियों में हुक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
8. जमा अर्नेष्ट मनी एवं सिक्यूरिटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
9. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा। यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है।
10. वितरण आदेश (Delivery Schedule) संभवतः साप्ताहिक या पाक्षिक रेल या रोड परिवहन से करने हेतु दिया जावेगा। आदेशित मात्रा अनुसार निर्धारित समय में नमक उपलब्ध कराने हेतु प्रदायकर्ता फर्म की बाध्यता रहेगी।

कृ.प.उ.8

NEELAM SALT SUPPLY CO.



Auth. Signatory

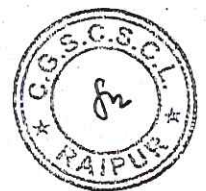


11. निर्धारित वितरण आदेशित मात्रा अनुसार नमक उपलब्ध नहीं कराए जाने की दशा में विलंबित मात्रा के लिए 5.00 रुपये प्रति टन प्रति दिन की दर से पेनाल्टी बतौर राशि वसूली की जा सकती है। वितरण आदेश दिनांक से अधिकतम 30 दिनों के अंदर नमक प्रदाय करना होगा अन्यथा 30 दिनों से अधिक होने पर पेनाल्टी लागू होगी।
12. यदि अनुबंधित नमक निर्माता निगम द्वारा दिये गये नमक प्रदाय आदेश के अनुसार नमक प्रदाय नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रद्द किए स्वतंत्र रूप से निविदा में भाग लिये न्यूनता के क्रम में नमक निर्माता/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से इस संविदा के अधीन अनुबंधित नमक निर्माता की जोखिम एवं खर्चों पर नमक प्रदाय आदेश देने के सात दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर नमक की पूर्ति करा लें। इस स्थिति में कार्पोरेशन को हुई क्षति/हानि एवं खर्चों की स्वीकृत दर का 25% या वास्तविक जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित नमक निर्माता का होगा।
13. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे स्वीकृत दर पर वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए अनुबंध करना होगा। निविदा 1 जनवरी 2013 से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जो आगामी तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। जो अनुबंधित नमक निर्माता को मान्य करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज की जावेगी।
15. क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय निगम 2002 के अनुसार हैं।
16. कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रैक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं कर सकेगा। यदि अन्य व्यक्ति को निविदा (Contract) सौंपा जाता है तो संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा तथा निविदा निरस्त कर, जमा अमानत/जमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर ली जायेगी।
17. किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये निरस्त करने पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

—0—

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory



// नमक की गुणवत्ता एवं देयक भुगतान की प्रक्रिया //

1. प्रदाय किया जाने वाला नमक-साफ, सफेद, निर्धारित गुणवत्ता का होना चाहिए।
2. आयोडीनयुक्त नमक के पैकिंग के समय 30 पी.पी.एम. सांद्रता का होना चाहिए व 06 माह की समयावधि समाप्ति पर आयोडीन मात्रा 15 पी.पी.एम. से कम नहीं होना चाहिए।
3. प्रदाय किये जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट 1954 के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर, आई.एस.आई. स्टैंडर्ड एवं निम्नलिखित स्पेशिफिकेशन का होना चाहिए जिसके लिए नमक प्रदाय के दौरान नमक आयुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

A.15.01-Iodised Salt means a crystalline solid, white or pale, pink or light grey in colour, free from contamination with clay, grit and other extraneous adulterants and impurities. It shall conform to the following standards, namely :-

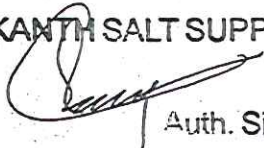
Moisture	-	Not more than 6.0% by weight of the undried sample.
Sodium Chloride (NaCl)	-	Not less than 96% by weight on dry basis.
Matter insoluble in water	-	Not more than 1% by weight on dry basis.
Matter soluble in water other than Sodium Chloride	-	Not more than 3% by weight on dry basis.
Iodine Content at -		
(a) Manufacturers level	-	Not less than 30 parts per million on dry weight basis.
(b) Distribution channel including retail level	-	Not less than 15 parts per million on dry weight basis.

4. नमक 01 किलोग्राम नेट वजन, 70 माईक्रॉन के पॉलीपैक में प्रदाय किया जावेगा। एक किलोग्राम के पॉलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा किया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग नमक निर्माता/निविदादाता करायेगा। अमृत नमक के ब्रांडिंग के प्रारूप की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न है, जिसे तीन रंगों में छपवाया जाना है पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपेरेंट, मजबूत, बिना किसी प्रकार के छेद की, न्यूनतम 70 माईक्रॉन स्तर की होगी। नमक की पैकिंग से संबंधित नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाइन में प्रिंट कराकर, पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात ही निगम से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही इसकी छपाई अच्छी किस्म की स्याही से प्रदायकर्ता के द्वारा कराई जावेगी। घटिया किस्म की स्याही का प्रयोग न किया जावे, अन्यथा कटौती किया जावेगा।

राज्य में नमक की आपूर्ति "अमृत नमक" के नाम से आवश्यकतानुसार पॉलीपैक पर निर्धारित प्रारूप पर ब्रांडिंग कर-की जावेगी। अमृत नमक का पॉलीपैक ट्रांसपेरेंट (TRANSPARENT) रहेगा।

5. निविदा में आयोडीनयुक्त नमक की दर (एफ.ओ.आर) छत्तीसगढ़ स्थित गोदामों पर रेल/सड़क माध्यम से परिवहन कर लैडिंग, अनलोडिंग एवं स्टैकिंग सहित चाही गई है। दरें समस्त करें सहित होंगी।
5. (अ) भारत सरकार द्वारा रेल भाड़े एवं अन्य करों में अचानक अप्रत्याशित कमी/वृद्धि की जाती है तो दोनों पक्षों को सहमति से आवश्यक निर्णय लेने की वाध्यता रहेगी।
6. 01 किलोग्राम वजन के पॉलीपैक 50-50 किलो की संख्या में नये एच.डी.पी.ई बैग्स में पैक कर प्रदाय किये जायेंगे जिसमें हुक न लगे एवं हुक को सख्ती से बंद करावें। आयोडीनयुक्त नमक परिवहन के साथ खाली पॉलीपैक भी रखी जावेगी, जो कटी- फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके तथा पाली पैक में पैकिंग इस प्रकार हो कि पैकेट का मुंह न खुले व नमक की क्षति न हो।
7. निगम को निविदादाता/ नमक निर्माता के कारखाने/गोदामों आदि स्थानों पर नमक की पिसाई, पैकिंग, किस्म, मात्रा आदि का निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।
8. निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा आयोडीनयुक्त नमक के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा।

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.



Auth. Signatory



9. यदि प्रदाय किया गया नमक एवं पैकिंग मटेरियल छपाई की स्याही उपयुक्त, गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो निगम भुगतान अस्वीकृत करने के साथ-साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत / जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
10. अनुबंधित नमक निर्माता द्वारा नमक प्रदाय के साथ गुणवत्ता का प्रमाणीकरण साल्ट कमिशनर/या उनके अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट तथा प्रदाय किया गया नमक आई.एस.आई. स्टैंडर्ड एवं पी.एफ.ए. एक्ट द्वारा निर्धारित मानक स्तर का होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हेतु समय-समय पर निगम से किसी अधिकारी/कर्मचारी को निर्माता के फैक्ट्री में सैम्पल जांच कराने हेतु भेजा जावेगा। प्राप्तकर्ता जिलों से नमक प्राप्ति की ऑनलाईन पावती, तौल पत्रक सहित निगम के रायपुर स्थित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा। निगम को प्राप्त आयोडीनयुक्त नमक से संबंधित 90% भुगतान उक्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करने पर (जांचोपरांत) एवं सही पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा और शेष 10% का भुगतान जिला प्रबंधक से नमक प्राप्ति की मात्रा आदि की पुष्टि प्राप्त होने के बाद एवं अपने स्रोतों से संतुष्ट होने के पश्चात किया जावेगा।
10. अ) रैक से नमक परिवहन की दशा में आर.आर. क्रमांक, दिनांक तथा स्थान सहित नमक प्रेषित जिले का नाम, प्रदाय केन्द्र का नाम, भेजी गई मात्रा, ऑनलाईन ट्रक चालान क्रमांक, दिनांक व ट्रक क्रमांक सहित विवरण देना होगा।
11. भुगतान वास्तविक रूप से प्रदाय किये गये नेट नमक का भुगतान होगा। यह प्राप्ति स्थल पर शत-प्रतिशत तौलकर जमा कराया जायेगा।
12. कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत अनुबंधित नमक निर्माता के साथ अनुबंध के रहते हुए भी अनुबंधित नमक प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो नमक प्रदाय आदेश को निर्बाध और गति पूर्ण से पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबंधित नमक निर्माता के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानांतर व्यवस्था से नमक की पूर्ति करावे। इसके अलावा भी प्रबंधन को सर्वाधिकार होंगे, तथा अनुबंधित नमक निर्माता की आपत्ति व्यवस्था के लिए मान्य नहीं होगी। यदि कार्पोरेशन चाहे तो किसी भी अनुबंधित नमक प्रदायकर्ता को स्वीकृत पूर्ण अथवा आंशिक नमक प्रदाय के आदेश निविदा में भाग लिये नमक निर्माता से कर सकता है। इसमें नियुक्त नमक निर्माता की कोई आपत्ति / क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।
13. अनुबंध के साथ निविदादाता/नमक निर्माता के द्वारा रुपये 4.00 करोड़ (रुपये चार करोड़ मात्र) की राशि जमानत बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। निविदा के साथ जमा अमानत राशि रुपये 1.00 (रुपये एक करोड़) का समायोजन भी अनुबंध किया जायेगा इस प्रकार कुल जमानत राशि ₹ 5.00 करोड़ होगा जो संतोषजक कार्य समाप्ति के पश्चात अनुबंध समाप्त होने पर तथा सभी देयकों के भुगतान होने पश्चात किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में वापस की जायेगी।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा।
15. यह कि निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला नमक पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत मानक स्तर का 30 पी.पी.एम. का होगा। यदि इसमें कमी पाई जाती है तो निगम द्वारा निविदादाता/नमक निर्माता पर निम्ना प्रकार के कटौती किये जायेंगे :-
- (अ) पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत नमक में नमी का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से यदि अधिक नमी पाई जाती है तो प्रदायकर्ता के बिल से 5% तक कटौती किया जा सकेगा।
- (ब) प्रदाय किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा का पी.पी.एम. पैकिंग के समय 30 पी.पी.एम. एवं छ माह तक की अवधि तक 15 पी.पी.एम. होना अनिवार्य है। परीक्षण के समय यदि पी.पी.एम. में कमी पा जाती है तो निगम को निविदादाता/नमक निर्माता के बिल से 5% तक की दर से कटौती करने का अधिकार रहेगा।

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory



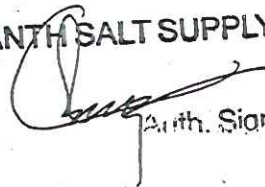
कृ.प.उ.14

परिशिष्ट - तीन

- (स) प्रदाय किये जाने वाले नमक की क्वालिटी यदि पी.एफ.ए. एक्ट के तहत निर्धारित मानक स्तर से कम पाया जाता है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा। इसमें निविदादाता/नमक निर्माता की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- (द) यदि एक किलोग्राम पॉलीपैक जिसमें नमक प्रदाय किया जाता है, इसका माइक्रान 70 से कम पाया जाता है तो प्रदायकर्ता के बिल से 5% तक का कटौती किया जावेगा।
- (ई) प्रदाय किया गया नमक की निर्धारित मात्रा/गुणवत्ता मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर प्रदायकर्ता को नमक मूलतः वापस की जा सकती है जिसे प्रदायकर्ता अपने खर्चों से उठायेगा तथा उसमें होने वाली हम्माली/परिवहन/भंडारण आदि समस्त खर्चों की वसूली प्रदायकर्ता के देयक से की जाएगी।
- (फ) निगम को देयक बकाया राशि की वसूली छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के नियमों एवं प्रावधानों के तहत भू-राजस्व बकाया की भांति की जावेगी।
16. निविदा में प्रस्तावित 27 (सत्ताईस) केन्द्र के अतिरिक्त प्रदाय केन्द्रों पर जिला प्रबंधक द्वारा प्रदायकर्ता से ही नमक परिवहन कराए जाने की दशा में निगम द्वारा जिले के संबंधित बेसडिपो की स्वीकृत एल.आर.टी. परिवहन दर के हिसाब से एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन के आधार पर 27 जिलों हेतु एफ.ओ.आर. निर्धारित अनुबंधित प्रदायकर्ता फर्म को ही नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। एल.आर.टी. देयकों से शासन द्वारा लागू कर वसूली योग्य होगी तथा शासन के नियमों का पालन करना अस्विकार्य होगा। निविदाकार को ही एल.आर.टी. परिवहन का भुगतान किया जाएगा अन्य व्यक्ति अथवा अन्य परिवहनकर्ता को नहीं।
17. रैक प्वाइंट से नमक की डिलेवरी लेकर निगम द्वारा स्वयं अथवा अपने नियुक्त परिवहनकर्ता से परिवहन कराए जाने की दशा में स्थानीय परिवहन, अनलोडिंग हम्माली एवं स्टेकिंग की राशि प्रति क्विंटल 10.00 रुपये कटौती कर प्रदायकर्ता को नमक का भुगतान किया जाएगा।
18. नमक प्रदायकर्ता द्वारा रैक आने पर पूर्व में दिये गये परिवहन आदेश अनुसार यदि निर्धारित गोदामों में भंडारण क्षमता रिक्त नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में नमक प्रदायकर्ता समीप के अन्य गोदामों में भंडारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में जिला प्रबंधक से तत्काल अनुमति लेवे।
19. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) स्थित न्यायालय रहेगा।

—0—

MEELKANTH SALT SUPPLY CO.



Auth. Signatory


// 12 //

परिशिष्ट - च

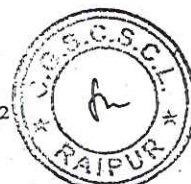
// छत्तीसगढ़ स्थित प्रदाय केन्द्र / गोदाम का विवरण, जहां आयोडीनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है //

क.	जिला/बेस डिपो का नाम	जिले में नमक की प्रतिमाह अनुमानित आवश्यकता (मात्रा में टन में)	जिले में स्थित बेसडिपो/प्रदाय केन्द्र/गोदाम जहां पर आयोडीनयुक्त नमक रेल/सड़क परिवहन से पूर्ति किया जाना है। (केन्द्रीय/राज्य भण्डार गृह निगम)
01	रायपुर	352.00	रायपुर
02	बलौदा बाजार	324.00	बलौदा बाजार
03	गरियाबंद	184.00	गरियाबंद
04	धमतरी	195.00	धमतरी
05	महासमुंद	316.00	महासमुंद
06	दुर्ग	395.00	दुर्ग
07	बालोद	187.00	बालोद
08	बेमेतरा	199.00	बेमेतरा
09	राजनांदगांव	364.00	राजनांदगांव
10	कवर्धा	224.00	कवर्धा
11	बिलासपुर	582.00	बिलासपुर
12	मुंगेली	210.00	मुंगेली
13	जांजगीर चाम्पा	416.00	जांजगीर चाम्पा
14	कोरबा	290.00	कोरबा
15	रायगढ़	446.00	रायगढ़
16	सरगुजा	300.00	सरगुजा
17	सुरजपुर	234.00	सुरजपुर
18	बलरामपुर	187.00	बलरामपुर
19	कोरिया	182.00	कोरिया
20	जशपुर	211.00	जशपुर
21	बस्तर	281.00	बस्तर
22	कोंडागांव	180.00	कोंडागांव
23	नारायणपुर	53.00	नारायणपुर
24	कांकेर	208.00	कांकेर
25	दन्तेवाड़ा	111.00	दन्तेवाड़ा
26	सुकमा	117.00	सुकमा
27	बीजापुर	98.00	बीजापुर
		6846.00	

नोट : निर्धारित नमक की बेस डिपो में ही स्कंध की डिलीवरी ली जाएगी।

-0-
NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

Auth. Signatory



// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

(टेक्नीकल बीड)

प्रेषक,

Neelkanth Salt Supply Co. (नमक निर्माता का नाम)
BBZ S-60 Zanda Chowk (एवं पूर्ण पता)
Grandhidam - Kutch.

प्रति,

प्रबंध संचालक,
 छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड
 रायपुर (छत्तीसगढ़)



प्रिय महोदय,

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों / गोदामों में आयोजित नमक (आई.एस.आई. स्टेण्डर्ड) कय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निगम के मुख्यालय में H.O. Raipur रसीद नम्बर 069/513 दिनांक 31/12/12 को रुपये 5250=00 जमाकर यह निविदा फार्म कय किया है। हमने / मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों / निविदा / सविदा शर्तों, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझा लिया तथा हम / मैंने उनके पालन के लिए सहमत हैं / हूँ।

2. हम / मैंने आयोजित नमक छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केन्द्रों में एफ.ओ.आर. (लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) (दरें समस्त करें सहित) पहुंचाकर देने संबंधी प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं। हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है -

(01) निविदाकार का नाम पता

Neelkanth Salt Supply Co.
BBZ S-60, Zanda Chowk, Grandhidam
02836-220421 / 220103

(02) दूरभाष क्रमांक कार्यालय
इण्डस्ट्रीज

(03) निविदाकार की फर्म का स्वरूप (फर्म / कंपनी / स्वामित्व / हिन्दू अविभाजित परिवार)

Proprietorship

(04) मुखिया (कर्ता) का नाम व पता

Shri Shamji Shai Sadhabhai kangad

(05) यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारी के नाम / पते (भागीदारी विलेय की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

N/AN/A

(06) फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

(Enclosed)

(07) साल्ट कमिश्नर द्वारा पंजीकृत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

Enclosed.

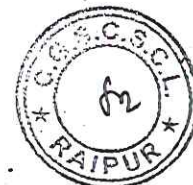
(08) आयकर रिटर्न तथा पेन की सत्यप्रति संलग्न करें।

PAN No. ADEPK 3471 EITR Enclosed.

(09) बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्र. लिखें)

Bank of Baroda, Grandhidam Branch.Ac No. 10080400000138

कृ.प. उ. 14



//14//

परिशिष्ट - पाठ

- (10) वर्तमान में किस शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नमक प्रदाय कार्य कर रहे हैं, विवरण दें

PACL

Chandigarh.

- (11) निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण

रु.

Rs 100,000.00 = 100

बैंक ड्राफ्ट नं.

DD.No. 250936

बैंक का नाम

Bank of Baroda.

दिनांक

31-12-12

- (12) इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची

1.

2.

3.

4.

5.

List Enclosed

3. हमारी/मेरी निविदा फार्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से नब्बे दिन तक नया परिशिष्ट दो के बिन्दु 14 वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेंगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी।
4. यदि नियम द्वारा हमें/मुझे आयोजीनयुक्त नमक प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।
5. हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं / करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है। **NEELKANTH SALT SUPPLY CO.**

दिनांक 2/1/13

हस्ताक्षर

Auth. Signatory

नाम AJAY GOENKA

फर्म का नाम Neelkanth Salt Supply Co.

पूरा पता BBZ S-60, Zanda Chowk, Gurdiala

हैसियत Auth. Signatory

मुहर

नोट : इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कालम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

Auth. Signatory

निविदाकार का नाम AJAY GOENKA

--0--



1 कि. (नेट वजन)

छत्तीसगढ़

आमृत

नमक

आयोडीन युक्त
पी.एफ.ए. मानक

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा
राज्य के सभी
बीपीएल / अन्त्योदय / अन्नपूर्णा
एवं
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
के कार्डधारियों के लिए प्रायोजित

गरीबों को दिया जाने वाला नमक
निःशुल्क
शासन का संकल्प

02 किग्रा. प्रति परिवार प्रति माह
पैकिंग के समय : आयोडीन मात्रा 30 पी. पी. एम.

वितरक :
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड
द्वितीयाद परिसर अवन्ति विहार तेन्नीबाघा रायपुर (छत्तीसगढ़)

पॉलिथिन ग्रेड - 70 माइक्रॉन
निर्माता :

BEST BEFORE 12 MONTHS FROM THE DATE OF PACKING

Packed Date :
Batch No. :

NEELKANTH SALT SUPPLY CO.

[Signature]
Signature:



